काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में उभयपक्षकारान को पावन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं हाने में अपनी सहमति जाहिर की।

पत्रावली पर उभयपक्षकारान के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**— पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 110/339 रकबा 2.0738 है0 व खसरा नं0 110/341 रकबा 0.2529 है0 वाके सिन्दोली, प.ह. सिन्दोली भू.अ.नि. फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 की सहखातेदारी की आराजी है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः**— आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।
3. **अपूर्णनीय क्षतिः**— चूंकि विवादित आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा जो विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द—बुर्द किया जाता है तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम सिन्दोली स्थित आराजी खसरा नम्बर 110/339 रकबा 2.0738 है0 व खसरा नं0 110/341 रकबा 0.2529 है0 का बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण